न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./12/19/भीलवाड़ा (2019/00012)

विभागीय अपील द्वारा श्री नन्दकिशोर खटीक तत्कालीन पटवारी पारौली तहसील कोटड़ी हाल पटवार मण्डल पलखड़ी तहसील अलवर जिला अलवर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 22–05–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी (Written Warning) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री नन्दकिशोर खटीक तत्कालीन पटवारी पारौली तहसील कोटड़ी हाल पटवार मण्डल पलखड़ी तहसील अलवर जिला अलवर ।

निर्णय

दिनांकः– 24.07.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 26–8–2016 को एक पत्र अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह कि आप उपखण्ड कार्यालय कोटड़ी में दिनांक 6–1–2015 को सभी भू.अ.निरीक्षकों एवं पटवारियान को चुनाव कार्य बाबत मतदाता सूचियों के वर्किंग सेट तैयार करने हेतु लगाया गया था। आपको सूचित होते हुए भी आप उक्त दिनांक को बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना ही अनुपस्थित रहे जिससे महत्वपूर्ण चुनाव कार्य प्रभावित हुआ है। आपका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 19.09.2016 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 16.5.2018 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22–5–2018 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि 5–1–2015 को अचानक मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारोली में रोगी पर्ची क्रमांक 1808 रजिस्ट्रेशन क्रमांक 79 दिनांक 5–1–2015 पर दवाई लिखकर संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुझे दो दिवस आराम करने हेतु निर्देशित किया गया था। बीमार होने के संबंध में अवकाश बाबत दिनांक 5–1–2015 व 6–1–2015 दो दिवस की दूरभाष पर सूचना भू.अ.निरीक्षक पारोली को दे दी गयी थी। दिनांक 5–1–2015 व 6–1–2015 के रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 7–1–2015 को तहसीलदार, कोटड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये जिनके आधार पर तहसीलदार, कोटड़ी द्वारा दो दिन का उपार्जित अवकाश दिनांक 1–5–2015 को स्वीकृत कर उक्त अवकाश का वेतन भी अपीलांट को दिया जा चुका है। अपीलांट द्वारा राजकार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गयी है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिखित चेतावनी का निर्णय पारित किया है। दिनांक 2–5–2018 को तहसीलदार, कोटड़ी ने जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 2–5–2018 की पालना में अपीलांट को जिला कलक्टर, अलवर के यहां कार्यमुक्त कर दिया जिसकी पालना में दिनांक 3–5–2018 को अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर, अलवर के यहां उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके उपरान्त भी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने दिनांक 22–5–2018 को लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर दिया जबकि दिनांक 22–5–2018 को मैं जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के अधीनस्थ पटवारी ही नहीं था जबकि उक्त दिनांक को मैं जिला कलक्टर महोदय अलवर के अधीनस्थ पटवारी था। इस कारण जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25–5–2018 निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 64440 दिनांक 15–01–2019 से अवगत कराया है कि अपचारी कर्मचारी पर आरोपित आरोप पत्र के अनुसार उपखण्ड कार्यालय कोटड़ी में दिनांक 6–1–2015 को सभी भू.अ.निरीक्षकों एवं पटवारियान को चुनाव कार्य हेतु मतदाता सूचियों के वर्किंग सेट तैयार करने हेतु लगाया गया था किन्तु अपचारी कर्मचारी बावजूद सूचना के सक्षम अधिकारी को दूरभाष पर सूचित किये बिना अनुपस्थित रहा जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण चुनाव कार्य बाधित हुआ है जो नियमों के परिपेक्ष्य में उचित नही था। अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में जांच विचाराधीन होने से जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर श्री नन्दकिशोर खटीक तत्कालीन पटवारी पारौली तहसील कोटड़ी के विरूद्ध इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./68924 दिनांक 22–5–2018 को लिखित चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त किया गया। अतः अपीलांट की अपील निरस्त की जावे ताकि अपीलार्थी भविष्य में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में सजग रह सके। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व गहन मनन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी को लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है, जबकि अपचारी कर्मचारी द्वारा उसके बीमार होने के संबंध में अवकाश पर रहने के दौरान दिनांक 5–1–2015 एवं 6–1–2015 दो दिवस की भू.अ.निरीक्षक को दूरभाष पर दे दी थी तथा उक्त दोनों दिवस का रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 7–1–2015 को तहसीलदार, कोटड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। तहसीलदार, कोटड़ी द्वारा उक्त दो दिवस का उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत कर दिया गया था तथा उक्त अवधि का वेतन आहरण भी किया जाकर अपचारी कर्मचारी को उसका भुगतान किया जा चुका है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपचारी कर्मचारी द्वारा उनके समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अत उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी कर्मचारी श्री नन्दकिशोर खटीक तत्कालीन पटवारी पारौली तहसील कोटड़ी हाल पटवार मण्डल पलखड़ी तहसील अलवर जिला अलवर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं उनके जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए अपीलार्थी अपचारी

कर्मचारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक प(ख)6(1)(2)भू.अ./विजां/2018/68924 दिनांक 22–05–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी (Written Warning) के दण्ड से दण्डित किया गया है, को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर